

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कौशाम्बी।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-मु०चि०अ०/मूल्या० एवं अनु०/वाहन/2019-20/290(2)

दिनांक-27-08-2019

विषय- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु अनुबन्धित वाहनो की सूचना के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/2019-20/23/3845-2
दिनांक-29.07.2019 के द्वारा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनो की सूचना निर्धारित प्रारूप पर
निम्नवत है:-

Supportive Supervision Vehicle hiring – Block wise information 2019-20						
S.N	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement Copy attached
1-	Allahabad	Kaushambi	Manjhanpur	UP73N3853	01-04-2019	Attached
2-			Sarswan	UP71Y5180		
3-			Sirathu	UP70DT9873		
4-			Kara	UP70EA6939		
5-			Mooratganj	UP70CW5270		
6-			Chayal	UP71X1219		
7-			Kanaili	UP73J4289		
8-			Newada	UP73A5977		

Supportive Supervision Vehicle hiring – District Level information 2018-19							
S.N	Name of District	Name of Agreement Signing Officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement Copy attached
1-	Kaushambi	CMO Kaushambi	UP70GT4800	01-04-2019	UP73A7157	01-04-2019	Attached

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी

कौशाम्बी।

तददिनांक

पत्रांक-मु०चि०अ०/मूल्या० एवं अनु०/वाहन/2019-20/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य/परिवार कल्याण उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
5. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, इलाहाबाद/जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम० कौशाम्बी।

मुख्य चिकित्साधिकारी
कौशाम्बी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध

समक्ष,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कौशाम्बी।

1. मैं प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु निविदा में अनुमन्य धनराशि रु0. 32100.00 प्रतिवाहन प्रतिमाह की दर से उपलब्ध करा रहा हूँ।
2. मैं प्रथम पक्ष के 10 वाहनों का सेवा प्रदाता हूँ एवं जिसके सम्पूर्ण कागजात बैद्य एवं पूर्ण है।
3. प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के द्वारा/(राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त आदेश/निर्देश) दिये गये निर्देशों को पूर्णतया पालन करना होगा।
4. प्रथम पक्ष द्वारा चिकित्सालय के समयानुसार (स्वास्थ्य ईकाई पर कम से कम 8 घण्टे) द्वितीय पक्ष द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवंटित 02 वाहन एवं स्वास्थ्य इकाई पर 08 वाहन उपलब्ध कराना होगा एवं वाहन खराब होने की दशा में द्वितीय पक्ष को दूसरा टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराना होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित स्वास्थ्य इकाई पर प्रथम पक्ष द्वारा सेवा प्रदान की जायेगी।
6. वाहन प्रत्येक माह कम से कम 1500 किमी0 चलाया जायेगा।
7. यह अनुबन्ध, अनुबन्ध तिथि (01 अगस्त 2018) से 02 वर्ष तक मान्य होगा।

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर.....
अनुबन्धकर्ता
Shivam Enterprises and Travels
मैसर्स शिवम इन्टरप्राइजेज एण्ड ट्रेवेल्स,
138 मानपुर गौरा, पो0 नारा, मंदानपुर कौशाम्बी
Autho. Signatory

ADD. CMO, NRHM
Kaushambi

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर.....
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
CHIEF MEDICAL OFFICER
कौशाम्बी
KAUSHAMBI